

डिकी मुकदमा इबताई (रूल्स 18-21)
न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक जमवारामगढ जिला जयपुर बड़जलास श्री चिमनलाल
मीना आर0ए0एस

जन्सीराम पुत्र कानाराम जाति मीणा निवासी ग्राम लूनेठा तहसील जमवारामगढ हाल
तहसील आंधी

वादी

बनाम

1. कजोड पुत्र कानाराम
2. प्रभाती पत्नी कानाराम
जाति मीणा समस्त निवासी ग्राम लूनेठा तहसील जमवारामगढ हाल
तहसीलउ आंधी
3. मांगी देवी पुत्री कानाराम निवासी लूनेठा तहसील जमवारामगढ
हाल निवासी ग्राम पापड तहसील जमवारामगढ
4. मूलचन्द पुत्र लच्छू
5. जगदीश नारायण पुत्र लच्छू
6. पांची पत्नी लच्छू
7. नानू पुत्र हरबक्स
8. पप्पूदान पुत्र गंगाराम
9. ज्याना पत्नी गंगाराम
10. प्रभात पुत्र भौमा
11. छोटू पुत्र भौमा
12. छोटी पत्नी मेवाराम
समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम लूनेठा तहसील जमवारामगढ हाल तह.
आंधी जिला जयपुर
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ हाल तहसील आंधी
प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राज. काश्तकारी
प्राथमिक डिकी आदेश दिनांक 10.10.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री चिमनलाल मीना
आर.ए.एस व हाजिर श्री किशनलाल एडवोकेट एवं रामस्वरूप शर्मा एडवोकेट
मिनजातिब मुदालय रूबरू बहाजीरी पेश होकर हुक्त दिया जाता है कि वादी का वाद
वादी के वाद को प्राथमिक डिकी किया जाता है तहसीलदार जमवारामगढ को
आदेशित किया जाता है कि ग्राम लूनेठा तहसील जमवारामगढ हाल तहसील आंधी
मे स्थिहात खसरा नम्बर 328 रकबा 0.3800 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 325 रकबा 2.
1400 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 160 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 245
रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 246 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 247
रकबा 1.7000 हैक्टेयर, खसरा 264 रकबा 0.6600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 266 रकबा
0.0400 हैक्टीयर खसरा नम्बर 309 रकबा 1.2500 हैक्टे0 मुताबिक राजस्व रिकार्ड

जमाबन्दी में दर्ज हिस्सा अनुसार दोनों पक्षों को सूचित करते हुये उनकी मौजूदगी में सरस नरस कब्जे काशत एवं रास्ते को मध्य नजर रखते हुये कुर्रजात के प्रस्ताव तीन तीन प्रतियो तैयार कर पेश करें

10/10/11
 सहायक सहायक कलक्टर (क)
 फास्ट ट्रेक जमवाशमगढ

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
	रुपये	पैसे		रुपये	पैसे
मुदई			मुदई		
स्टाम्प			स्टाम्प		
वकालतनामा			वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह			स्टाम्प वजूह		
सबूत			सबूत		
महन्तानावकील			महन्तानावकील		
खर्चा गवहान			खर्चा गवहान		
बबतहजराय			बबतहजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुत.			मुत.		
मिलान			मिलान		

10/10/11
 सहायक सहायक कलक्टर (क)
 फास्ट ट्रेक जमवाशमगढ

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक जमवारामगढ जिला जयपुर

क्र. संख्या 82/2017

जन्सीराम पुत्र कानाराम जाति भीणा निवासी ग्राम लूनेठा तहसील जमवारामगढ हाल तहसील आंधी

वादी

बनाम

1. कजोड पुत्र कानाराम
2. प्रभाती पत्नी कानाराम जाति भीणा समस्त निवासी ग्राम लूनेठा तहसील जमवारामगढ हाल तहसीलउ आंधी
3. मागी देवी पुत्री कानाराम निवासी लूनेठा तहसील जमवारामगढ हाल निवासी ग्राम पापड तहसील जमवारामगढ
4. मूलचन्द पुत्र लच्छू
5. जगदीश नारायण पुत्र लच्छू
6. पांघी पत्नी लच्छू
7. नानू पुत्र हरबक्स
8. पप्पूदान पुत्र गंगाराम
9. ज्याना पत्नी गंगाराम
10. प्रभात पुत्र भौमा
11. छोटू पुत्र भौमा
12. छोटी पत्नी मेवाराम समस्त जाति भीणा निवासी ग्राम लूनेठा तहसील जमवारामगढ हाल तह. आंधी जिला जयपुर
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ हाल तहसील आंधी प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्राथमिक डिक्री

आदेश दिनांक 10.10.2022

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि वादी द्वारा जरिये अधिवक्ता श्री किशनलाल बेरवा ने वाद पत्र बाबत दावा बाबत बंटवारा स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम लूनेठा तहसील जमवारामगढ हाल तहसील आंधी मे स्थित खसरा नम्बर 328 रकबा 0.3800 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 325 रकबा 2.1400 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 160 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 245 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 246 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 247 रकबा 1.7000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 264 रकबा 0.6600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 266 रकबा 0.0400 हैक्टेयर खसरा नम्बर 309 रकबा 1.2500 हैक्टेयर स्थित है जिस पर वादी अपने रिकार्डड शामिली हिस्से पर साधिकार कब्जा काश्त करता चला आ रहा है । उक्त वादग्रस्त आराजी का अभी तक विधिक बंटवारा नहीं हुआ है अतः वादी के राजस्व रिकार्ड को देखते हुये कब्जा काश्त को मध्य नजर रखते हुये राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार

10/10/22
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जमवारामगढ जिला जयपुर

